जायेगा। पेलटीकरण संयंत्र की स्थापना और उसकी समय सारिणी के बारे में विनिश्चय प्रायोजना की प्रौद्योग—आर्थिक साध्यता पर निर्भर रहेगा।

Transfer of Officers from Andaman and Nicobar Islands

516. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: Will be Minister of AGRICULTURE(KRISHI MANTRI) be pleased to state :

(a) the number of Forest Officers who have requested for their transfer from the Andaman and Nicobar Islands to the mainland during the last three years ;

(b) the number of Officers already transferred and position of the other Officers who have applied for their transfers to the mainland ;

(c) whether some transfers have been made on medical advice ; and

(d) the action taken by Government on such requests ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI SHER SINGH) : (a) Three.

(b) One IFS Officer has been transferred from Andaman & Nicobar Islands to NEFA Forest Department. The requests of other two IFS Officers could not be acceded to on account of administrative difficulties.

(c) No.

(d) No request has been received for the transfer of any officer on grounds of his ill-health.

कम उपज वाले क्षेत्रों में उपज बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता।

517. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कृषि योग्य ऐसा कितना क्षेत्र है जहां सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण लक्ष्यों के अनुपात में उपज नहीं हो रही है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को गत दो वर्षों में कितनी सहायता दी गई तथा वित्त वर्ष 1971-72 के दौरान कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) वर्ष 1969-70 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 170 लाख हैक्टार कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव रहा।

(ख) चालू पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता सामूहिक ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है और किसी अलग कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती। फिर भी, राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से, राज्य सरकार ने वर्ष 1969-70 में सिंचाई योजनाओं पर, जिनमें मुख्य, मध्यम तथा लघु योजनायें शामिल है, 13.97 करोड़ रु० खर्च किए और वर्ष 1970-71 में 18.69 करोड़ रु० खर्च किए (पूर्वानुमानित) सन् 1971-72 में सिंचाई की योजनाओं के लिए 24.80 करोड़ रुपये के उपबन्ध की सिफारिश की गई है।

भूमिहीनों में होने वाले कृषि योग्य परती भूमि बांटने हेतु मध्य प्रदेश को केन्द्रीय निर्देश

518. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुमानत: ऐसी कृषि योग्य भूमि कितनी है जिसका आबटन नहीं हुआ है और संसाधनों की कमी के कारण जिसकी इस समय जुताई नहीं की जा रही है; और